File No.1-10099/6/2023- -10-

संख्या-1730/एक-10-2023-33(221)/2011

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 12/12/2023

विषयः- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से होने वाले बैठकों के संचालन हेतु आवश्यकत उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनाशि आवंटित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-759/रा.आ.प्र.प्रा/प्रो0गा0/2023-24, दिनांक 21.11.2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से होने वाले बैठकों के संचालन हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के ''कैपेसिटी बिल्डिंग मद'' से रू0 30,24,699/- (रू0 तीस लाख चौब्बीस हजार छः सौ निन्यानबे मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबन्धों एवं विवरणों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	मद	मात्रा/संख्या	लागत (रू0 में)
1	Voice tracking video camera	1	4,65,000/-
2	Interactive display with O.P.S.	1	14,88,500/-
3	Wireless speaker/microphone speaker system	1	2,46,699/-
4	Smart Television, 98" Screen (For Meeting Hall)	1	4,98,500/-

5	Smart Television, 55" Screen (For Meeting Hall of First and Ground floor)	4	2,60,000/-
6	Laptop i5, 14" screen, 01 TB HDD, 08 GB RAM, 256 GB SSD	1	66,000/-
			30,24,699/-

<u>नियम शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
2. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
3. उपकरणों को क्रय किये जाने के संबंध में मितव्यता का अनुपालन किया जायेगा।
4. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
6. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
7. उक्त उपकरणों का क्रय अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में विहित प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 30 ,24,699/- (रू0 तीस लाख चौब्बीस हजार छः सौ निन्यानबे मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखाशीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-

227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम केवल
Date: 12-12-2023 17:11:44
Reason: Approved

(राम केवल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-1730 (1)/एक-10-2023-33(221)/2011, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, शास्त्री भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

<u>**Allotment Grid Report**</u>

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-18/12/2023

प्रेषण संख्या:- 1730
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1730
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	3024699 213159369	3024699 213159369
	योग	वर्तमान प्रगामी	3024699 213159369	3024699 213159369

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीस लाख चौबीस हजार छः सौ निन्यानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्कीस करोड़ इकत्तीस लाख उनसठ हजार तीन सौ उनहत्तर

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन